तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 42/2014 ई.दी. विजय कुमार बनाम अरूण कुमार (1/3) आदेश दिनांक 08.09.2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

08.09.2025

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता वादी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी पर बहस सुनी गई।

विद्वान् अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि वादी ने अपने वादपत्र के मद संख्या 3 में यह अभिवचन अंकित किये हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता होने के कारण विनियमितिकरण का पट्टा अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर बना और विवादित जायदाद पर निर्मित मकान पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से व्यय किया। मकान के निर्माण का जो ऋण लिया गया उसकी अदायगी एवं मोचन का दायित्व वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से है। उपरोक्त अभिवचनों के संबंध में विवाद्यक विरचित नहीं हुए हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त अभिवचनों के संबध में प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित विवाद्यकों को अतिरिक्त विवाद्यक के रूप में विरचित किया जावें।

विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में उक्त तर्कों का समर्थन करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि वादी ने जो अतिरिक्त विवाद्यक प्रस्तावित किये हैं उनके संबंध में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विवाद्यक विरचित किये जा चुके हैं। वादी ने प्रकरण को लम्बा करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वाद बाबत् विभाजन जायदाद व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.07.2016 को विवाद्यक विरचित किये गये। वादी ने अपने वादपत्र के मद संख्या 3 में यह अभिवचन अंकित किये हैं कि वादग्रस्त जायदाद वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के आधिपत्य एवं स्वामित्व की है और प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता होने के कारण विनियमितिकरण का पट्टा नगरपालिका नाथद्वारा से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर बनवाया था। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में उक्त अभिवचनों का खण्डन किया है। उक्त अभिवचनों के संबंध में निम्न प्रस्तावित विवाद्यक विरचित किया जाना न्यायोचित हैः–

''1क. आया प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता होने के कारण विवादित जायदाद का विनियमितिकरण का पट्टा नगरपालिका नाथद्वारा से अकेले अपने नाम पर बनवाया?
–––वादी''

जहां तक वादी के इन अभिवचनों का प्रश्न है कि विवादित जायदाद पर निर्मित मकान पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने संयुक्त रूप से व्यय किया और निर्मित मकान पर जो ऋण लिया गया उसकी अदायगी एवं मोचन का दायित्व वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से है, के संदर्भ में यहां यह कहना न्यायोचित होगा कि उपरोक्त अभिवचनों के संबंध में पूर्व में विवाद्यक संख्या 2 विरचित किया जा चुका है। उक्त विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर नियत किया गया है। विवाद्यक संख्या 2 के खण्डन में वादी के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की जानी है, वह उपरोक्त अभिवचनों के संबंध में प्रस्तुत की जानी है। वादी ने जो उपरोक्त अभिवचनों के संबंध में विवाद्यक प्रस्तावित किया है वह पूर्व में विरचित किये गये विवाद्यक संख्या 2 का पुरक है इसलिये उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के द्वारा प्रार्थना

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 42/2014 ई.दी. विजय कुमार बनाम अरूण कुमार (3/3) आदेश दिनांक 08.09.2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्र के पैरा संख्या 3 व 4 में प्रस्तावित अतिरिक्त विवाद्यकों का विरचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर निम्न अतिरिक्त विवाद्यक "1क" जोड़ा जाता है :–

"1क. आया प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता होने के कारण विवादित जायदाद का विनियमितिकरण का पट्टा नगरपालिका नाथद्वारा से अकेले अपने नाम पर बनवाया? ———वादी

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 16.9.25 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)